

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 9] No. 9] नई दिल्ली, मई 4—मई 10, 2014, शनिवार/वैशाख 14—वैशाख 20, 1936

NEW DELHI, MAY 4-MAY 10, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 14-VAISAKHA 20, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

का.िन.आ. 35.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय वर्ग III तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसिचिवीय पद भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उसका संबंध सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी—I और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी—II पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों) भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा व अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

1776 GI/2014

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
 सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-I 	9* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7) लागू नहीं होता		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
				(9)	
		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति अन्तरण किया जाएगा			
(10)			(11)		
प्रोन्नित			सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-II जो वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा रखते है और निम्नानुसार कौशल परीक्षण पास हैं — (क) अंग्रेजी अंको और आकृतियों का ज्ञान।		

प्रोन्नति

(11)

(ख) यातायात नियमों और विनियमों की जानकारी

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर साधारण श्रेणी-II जो वेतन बैंड-1, वेतनमान

5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा रखते

है और निम्नानुसार कौशल परीक्षण पास हैं — (क) अंग्रेजी अंको और आकृतियों का ज्ञान।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना परामर्श किया जाएगा (13)(12)समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में लागू नहीं होता। विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-1. कमाडिंग आफिसर वैमानिक क्वालिटी आश्वासन विंग (आयुध) ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी -1 या समतुल्य स्तर के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी -I या समतुल्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन से समतुल्य स्तर के अधिकारी (6) (5) (4) (3) (2) (1) लागू नहीं होता अचयन वेतन बैंड 1, 2. सिविलियन मोटर 08* (2014) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', 5200-*(कार्यभार के ट्रांसपोर्ट ड्राइवर 20200 হ. + अराजपत्रित, श्रेणी-II आधार पर ग्रेड वेतन परिवर्तन किया अननुसचिवीय 2400 ক. जा सकता है।) (9) (8) (7) लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता (11) (10)

(11)

(ख) यातायात नियमों और विनियमों की जानकारी

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में लागू नहीं होता।

विचार करने के लिए) निम्निलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. कमार्डिंग आफिसर —अध्यक्ष वैमानिक क्वालिटी आश्वासन विंग (आयुध) खामारिया

2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी –I या समतुल्य —सदस्य स्तर के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी

3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी –I या समतुल्य —सदस्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन से समतुल्य स्तर के अधिकारी

(5) (6) (1) (2) (3) (4) 25 वर्ष से अनिधक वेतन बैंड 1. लाग नहीं होता 3. सिविलियन मोटर 6* (2014) साधारण केन्द्रीय (विभागीय अभ्यर्थियों के साधारण ट्रांसपोर्ट ड्राइवर *कार्यभार के सेवा, समूह 'ग', 5200-अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष साधारण आधार पर अराजपत्रित, 20200 ₹. + और अनुस्चित जाति और श्रेणी परिवर्तन किया अननुसचिवीय ग्रेड वेतन अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों जा सकता है। 1900 ₹. की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

		(6)
		टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह ऑतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	(8)	(9)
 िकसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मैट्रीकुलेशन कक्षा 10 पास विधिमान्य ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखते हुए कार या भारी यान के ड्राइविंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो । 	लागू नहीं होता	दो वर्ष
		(11)
(10)		
सीधी भर्ती द्वारा	<u></u> ભા	गू नहीं होता
(12)		(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्ति समिति (पुष्टि के संबंध में		लागू नहीं होता ।
विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		
 कमार्डिंग आफिसर —अध्यक्ष वैमानिक क्वालिटी आश्वासन विंग (आयुध), खामारिया 		
 ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य —सदस्य स्तर के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी 		
 ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य —सदस्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन से समतुल्य स्तर के अधिकारी 		

[फा.सं. 2523/आर आर/सी एम टी डी (समूह 'ग')/डी जी ए क्यू ए /प्रशासन-II/डी (एच ए एल)] इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 6th May, 2014

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Technical Development and Production (Air) Class III Technical, Scientific and other Non-ministerial posts Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the posts of Civilian Motor Transport Driver Grade-I and Civilian Motor Transport Driver Grade-II in Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Civilian Motor Transport Drivers in Ministry of Defence, Department of

Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:—

- l. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' posts (Civilian Motor Transport Drivers) Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit. qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification. -- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marnage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE						
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of pay	Whether selection or non- selection post	Age-limit for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Civilian Motor Transport Driver Grade-I	09* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹5200— 20200 with grade pay of ₹2800	Non-selection	Not applicable	
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees		Period of probation, if any	
(7)			(8)		(9)	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption Method of recruitment: Whether by direct grades from which promotion or absorption or deputation to be recruitment or by promotion or by deputation made or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods (11)(10)Civilian Motor Driver Grade-II in Pay Band-1, Grade pay Promotion ₹2400 in the Pay Scale ₹5200-20200 with six years regular service in the grade and after passing the proficiency test as under:-(a) Reading of English numerals and figures. (b) Knowledge of traffic rules and regulations. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Circumstances in which Union Public Service If Departmental Promotion Committee exists, what is Commission is to be consulted in making its composition recruitment (13)(12)Not applicable Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-1. Commanding Officer, Aeronautical Quality **Chairman** Assurance Wing (Armament), Khamaria Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent —Member level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent —Member level from any other Defence establishment (6)(4) (5) (2) (3) (1) Non-selection Not applicable 2. Civilian Motor 08* (2014) Pay Band-1, General Central Service Group 'C', ₹5200-*Subject to Transport 20200 with Non-Gazetted, variation Driver Non-Ministerial grade pay of Grade-II dependent ₹2400 on workload (9) (8) (7) Not applicable Not applicable Not applicable

[PART II—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: MAY 10, 2014/VAISAKHA 20, 1936 356 (11)(10)Civilian Motor Driver, Ordinary Grade-II in Pay Band-1, Grade Promotion pay ₹1900 in the Pay Scale ₹5200-20200 with nine years regular service in the grade and after passing of a trade test as under:-(a) Reading of English numerals and figures. (b) Knowledge of traffic rules and regulations. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (13)(12)Not applicable. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :--Chairman Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent —Member level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Civilian Motor Transport Driver Ordinary Grade		General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹5200— 20200 with grade pay ₹1900	Not applicable	Not exceeding twenty-five years (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receip of applications from the candidates from the hear lands of India (and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya, Arunachai Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim

3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent —Member

level from any other Defence Establishment

		(6)
		Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahau and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: In case of th recruitment made through th Employment Exchanges, th crucial date for determining th age limit shall be the date upt which the Employment Exchange is asked to subm the names.
(7)	(8)	(9)
Matriculation (10th class pass) from any recognized Board. Possessing a vaild driving license for driving cars and heavy vehicles with at least two years experience in driving.	Not applicable	Two years
(10)	(11)	
(10)	Not applic	able
By direct recruitment		
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria		ot applicable.
Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent — Men level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	mber	
3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent —Melevel from any other Defence Establishment	mber	

[F. No. 2523/RR/CMTD (Group 'C')/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]
INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2014

का.नि.आ. 36 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर सर्चर भर्ती नियम, 1972 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर में सर्चर, समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—